परियोजना डेटा शीट का यह हिन्दी अनुवाद इसके अंग्रेजी संस्करण दिनांक 29 जुलाई 2014 पर आधारित है।

परियोजना डेटा शीट

परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम के विषय में संक्षिप्त सूचना होती है। चूंकि पीडीएस एक प्रगति अधीन कार्य होता है, कुछ सूचनाएं इसके प्रारंभिक संस्करण में शामिल नहीं हो सकती हैं, परंतु इनके उपलब्ध होने पर शामिल कर ली जाएंगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में सूचना अनन्तिम और संकेतात्मक है।

पीडीएस सृजन तिथि	–
पीडीएस अद्यतनीकरण की तिथि	10 जुलाई 14

परियोजना का नाम	मध्य प्रदेश जिला संयोजकता सेक्टर परियोजना
देश	भारत
परियोजना/कार्यक्रम संख्या	47270-001
स्थिति	अनुमोदित
भौगोलिक अवस्थिति	–

इस प्रलेख में किसी कंट्री कार्यक्रम या रणनीति तैयार करने, किसी परियोजना के वित्तपोषण, अथवा किसी विशेष भूभाग अथवा भौगोलिक क्षेत्र को कोई पदनाम देने, अथवा संदर्भित करने में एशियाई विकास बैंक का आशय किसी भूभाग अथवा क्षेत्र की स्थिति के बारे में कानूनी या अन्य प्रकार से राय प्रकट करना नहीं है।

क्षेत्र तथा/अथवा उपक्षेत्र वर्गीकरण	परिवहन तथा आईसीटी /सड़क परिवहन (गैर–शहरी)
विषयगत वर्गीकरण	
लिंग मुख्यधारा में जोड़ने वाले संवर्ग	–

■ वित्तपोषण

सहायता का प्रकार/रूपात्मकता	अनुमोदन संख्या	वित्तपोषण का स्रोत	अनुमोदित राशि (हजार)
ऋण	–	साधारण पूंजी संसाधन	350,000
–	–	प्रतिपक्ष	150,000
योग			यूएस **$ 500,000**

■ संरक्षा संवर्ग

संरक्षा संवर्गों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया
http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories देखें

पर्यावरण	ख
अस्वैच्छिक पुनर्वास	ख
स्वदेशी लोग	ग

■ पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक मुद्दों का सारांश

पर्यावरण–पहलू

सेक्टर ऋण के लिए उप–परियोजना सम्यक् सतर्कता के मार्गदर्शन हेतु आवश्यक पर्यावरण सुरक्षोपाय संरचनाएं तैयार की जाएंगी। एडीबी के सुरक्षोपाय नीति वक्तव्य (2009) तथा सरकारी दिशानिर्देशों, विनियमों तथा नीतियों के अनुपालन में पर्यावरण प्रभावों का आकलन किया जाएगा तथा उपशमन उपाय प्रस्तावित किए जाएंगे। पीपीटीए परामर्शदाता प्रारंभिक पर्यावरण जांचों, जिनमें आवश्यकतानुसार पर्यावरण प्रबंधन योजनाएं शामिल हैं, को अंतिम रूप देंगे। पुनर्वास योजना तथा स्वदेशी लोग योजना इसी चरण में तैयार की जाएगी।

अस्वैच्छिक पुनर्वास

सेक्टर ऋण के लिए उप–परियोजना सम्यक् सतर्कता के मार्गदर्शन हेतु आवश्यक पर्यावरण सुरक्षोपाय संरचनाएं तैयार की जाएंगी। एडीबी के सुरक्षोपाय नीति वक्तव्य (2009) तथा सरकारी दिशानिर्देशों, विनियमों तथा नीतियों के अनुपालन में सामाजिक प्रभावों का आकलन किया जाएगा तथा उपशमन उपाय प्रस्तावित किए जाएंगे। पीपीटीए परामर्शदाता प्रारंभिक पर्यावरण जांचों, जिनमें आवश्यकतानुसार पर्यावरण प्रबंधन योजनाएं शामिल हैं, को अंतिम रूप देंगे। पुनर्वास योजना तथा स्वदेशी लोग योजना इसी चरण में तैयार की जाएगी।

स्वदेशी लोग

सेक्टर ऋण के लिए उप–परियोजना सम्यक् सतर्कता के मार्गदर्शन हेतु आवश्यक सामाजिक सुरक्षोपाय संरचनाएं तैयार की जाएंगी। एडीबी के सुरक्षोपाय नीति वक्तव्य (2009) तथा सरकारी दिशानिर्देशों, विनियमों तथा नीतियों के अनुपालन में सामाजिक प्रभावों का आकलन किया जाएगा तथा उपशमन उपाय प्रस्तावित किए जाएंगे। पीपीटीए परामर्शदाता प्रारंभिक पर्यावरण जांचों, जिनमें आवश्यकतानुसार पर्यावरण प्रबंधन योजनाएं शामिल हैं, को अंतिम रूप देंगे। पुनर्वास योजना तथा स्वदेशी लोग योजना इसी चरण में तैयार की जाएगी।

■ स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श

परियोजना डिजाइन के दौरान

इस परियोजना के संभावित प्राथमिक लाभार्थी सड़क उपयोगकर्ता, परियोजना प्रभावित क्षेत्र के समीपस्थ समुदाय, ग्रामीण, पंचायतें (ग्रामीण स्थानीय शासन), एमपीपीडब्ल्यूडी, भारत के परिवहन सेक्टर विकास में सक्रिय अन्य विकास तथा व्यवसाय एवं समुदाय समूह हैं। गरीब और वंचितों के लिए भी सड़कों तक पहुंचना आसान होगा, जो उनको मंडियों तथा अन्य सेवाओं तक पहुंचन में मददगार होगा। प्रतिकूल प्रभावित होने वाले स्टेकहोल्डर्स मूल रूप से वे लोग होंगे, जिनकी भूमि अधिग्रहीत की

जाएगी या जीविका समाप्त तथापि, परियोजना का फोकस मौजूदा सड़कों के सुधार और पुनरूद्धार पर केन्द्रित है, अतः भूमि अधिग्रहण उन क्षेत्रों तक सीमित होगा, जहां सड़कों में कुछ रेखागणितीय सुधार, पुल पहुंचमार्गों अथवा मौजूदा बस्तियों को बचाने के लिए बाईपास की जरूरत है। प्रतिकूल प्रभाव समुचित स्टेकहोल्डर परामर्शों द्वारा कम किए जाएंगे तथा पुनर्वास योजना में शामिल किए जाएंगे। परियोजना का प्रस्तावित उद्देश्य मध्य प्रदेश राज्य के जिला क्षेत्रों में सड़क संयोजकता में सुधार है, जिसके फलस्वरूप बुनियादी सेवाओं व्यापार और रोजगार तक पहुंच आसान हो सके। गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों की प्राथमिक चिन्ता भूमि की हानि तथा/अथवा भूमि अधिग्रहण गतिविधियों के फलस्वरूप जीविका की हानि होगी। परियोजना की तैयारी में अन्वेषण तथा गरीब एवं कमजोर वर्ग के स्टेकहोल्डरों सहित सभी लाभार्थियों के साथ परामर्श शामिल होगा। प्रस्तावित परियोजना का निर्माण पीपीटीए परामर्शदाताओं, एनजीओ'ज तथा सीबीओ'ज की सहायता से पीपीटीए के दौरान प्रारंभ की गई परामर्श और समुदाय प्रतिभागिता कवायद के आधार पर किया जाएगा। इनमें योजना, डिजाइन तथा घनी आबादी वाली तथा गरीब बस्तियों में कार्यान्वयन के लिए समुदाय की भागीदारी शामिल होगा। समुदाय परामर्श परियोजना कार्यान्वयन के चरणों में भी किया जाएगा तथा उपयोक्ता जागरूकता एक महत्वपूर्ण गतिविधि के तौर पर शामिल की जाएगी। सामुदायिक बैठकों तथा फोकस समूह चर्चाओं का आयोजन गरीबी तथा सामाजिक विश्लेषण के रूप में किया जाएगा। स्थानीय परामर्श बैठकों में गरीब और अन्य सामाजिक रूप से उपेक्षित समूह (उदाहरण के लिए महिलाएं, अनुसूचित जनजातियां इत्यादि) सहित सभी संबद्ध स्टेकहोल्डरों प्रतिनिधियो को शामिल किया जाएगा, ताकि जानकारी का प्रसार किया जा सके तथा परियोजना डिजाइन और इसके संभावित प्रभावों के बारे में सुझाव प्राप्त किए जा सकें। अन्य प्रमुख स्टेकहोल्डर जैसेकि संबद्ध शाखा विभाग, स्थानीय प्रशासन प्रतिनिधि तथा एनजीओ'ज के साथ भी परामर्श किया जाएगा। सुरक्षोपाय योजनाएं तैयार करने के लिए परियोजना सड़कों के किनारे जनसंख्या सर्वे तथा सामाजिक आर्थिक सर्वे के दौरान प्रभावित परिवारों के साथ भी परामर्श किया जाएगा।

परियोजना कार्यान्वयन के दौरान

प्रस्तावित परियोजना का निर्माण पीपीटीए परामर्शदाताओं, एनजीओ'ज तथा सीबीओ'ज की सहायता से पीपीटीए के दौरान प्रारंभ की गई परामर्श और समुदाय प्रतिभागिता कवायद के आधार पर किया जाएगा। इनमें योजना, डिजाइन तथा घनी आबादी वाली तथा गरीब बस्तियों में कार्यान्वयन शामिल होगा। समुदाय परामर्श परियोजना कार्यान्वयन के चरणों में भी किया जाएगा तथा उपयोक्ता जागरूकता एक महत्वपूर्ण गतिविधि के तौर पर शामिल की जाएगी।

■ विवरण

मध्य प्रदेश जिला संयोजकता सेक्टर परियोजना राज्य में प्रमुख जिला सड़कों (एमडीआर'स) के पुनरूद्धार तथा कोटिवर्धन द्वारा परिवहन संयाजकता में सुधार हेतु तैयार की गई है। इस परियोजना में (i) लगभग 2,200 किलोमीटर एमडीआर'स का पुनरूद्धार तथा कोटिवर्धन ; (ii) सड़क अनुरक्षण तथा आस्ति प्रबंधन में सुधार ; तथा (iii) एक कुशल दुर्घटना अनुक्रिया प्रणाली का विकास शामिल है। सिविल निर्माणों के कार्यान्वयन के निरीक्षण हेतु परामर्शी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। दुर्घटना अनुक्रिया प्रणाली और कम्प्यूटरीकृत सड़क आस्ति प्रबंधन प्रणाली (आरएएमएस) के विकास हेतु पिगी–समर्थित तकनीकी सहायता (टीए) उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें 225,000 डॉलर की परियोजना तैयारी तकनीकी सहायता (पीपीटीए) शामिल की जानी प्रस्तावित है, जिसका विस्तृत विवरण संकल्पना पत्र के परिशिष्ट 4 में प्रस्तुत किया गया है। परियोजना की सहायता एक सेक्टर आधारित विधि से की जाएगी। यह विधि निम्नलिखित कारणों से वित्तीय सहायता के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है (i) परियोजना बड़ी संख्या में विभाजित एमडीआर्स से संबंधित है ; (ii) एमपीआरडीसी के पास सेक्टर विकास योजना तैयार एवं कार्यान्वित करते तथा विशिष्ट रोड पैकेज तैयार करने हेतु आवश्यक संस्थानिक क्षमता मौजूद है। एमपीआरडीसी को पिछले एडीबी ऋणों से संविदाकार परियोजना कार्यान्वयन की अधिप्राप्ति में प्रामाणिक अनुभव है ; तथा (iii) सेक्टर विकास योजना सहित एमडीआर्स के प्रबंधन में सुधार हेतु नीतियां सेक्टर ऋण के हिस्से के तौर पर तैयार की जाएंगी। परियोजना का प्रभाव मध्य प्रदेश राज्य में सड़क परिवहन संयोजकता में सुधार के रूप में दृष्टिगत होगा। इसके परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश में सड़क गतिशीलता और कुशलता में सुधार आएगा। इसके निम्नलिखित परिणाम होंगे (i) प्रमुख जिला सड़कों का पुनरनिर्माण

तथा पुनरूद्धार, सभी मौसम मानदंडों के अनुरूप तथा सड़क सुरक्षा के डिजाइन के अनुसार ; (ii) सड़क अनुरक्षण तथा आस्ति प्रबंधन में सुधार ; तथा (iii) कुशल दुर्घटना अनुक्रिया प्रणाली की संरचना।

■ परियोजना तर्काधार और कंट्री/क्षेत्रीय रणनीति के साथ संबंध

मध्य प्रदेश अपेक्षाकृत अधिक गरीब राज्य है तथा यहां विकास जरूरतों के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है। एडीबी द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को राज्य के राजमार्गों के सुधार हेतु पिछले तीन ऋणों द्वारा सहायता प्रदान की है तथा केन्द्रीय शाखा मंत्रालय को एडीबी के ऋणों का उपयोग राज्य में ग्रामीण सड़कों के लिए किया गया है। एमडीआर्स राज्य के राज्यमार्गों तथा ग्रामीण सड़कों के बीच सड़क नेटवर्क में मुख्य सम्पर्क की रचना करती हैं। इस नेटवर्क के विकास से राज्य की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा मंडियों तथा बुनियादी सेवाओं तक आसानी से पहुंच सकेगा। यह परियोजना, पिछड़े राज्यों पर फोकस के साथ, राज्य के कोर नेटवर्क के विकास की देश भागीदारी रणनीति 2013–2017 में निर्धारित रणनीतिक उद्देश्य और लोगों तथा माल के कुशल एवं स्थिर संचलन के परिवहन सेक्टर उद्देश्य के अनुरूप है। यह परियोजना देश परिचालन व्यवसाय योजना : भारत (2013–2015) में शामिल नहीं है। तथापि, आर्थिक कार्य विभाग, वित मंत्रालय, भारत सरकार (डीईए) ने 2014 में अनुमोदन हेतु, एडीबी की वित्तीय सहायता के लिए परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है।

■ विकास प्रभाव

मध्य प्रदेश राज्य में सड़क परिवहन संयोजकता में सुधार

■ परियोजना परिणाम

परिणाम का वर्णन	परिणाम की दिशा में प्रगति
मध्य प्रदेश में सड़क गतिशीलता और कुशलता में सुधार	–

■ आउटपुट्स और कार्यान्वयन प्रगति

परियोजना आउटपुट्स का वर्णन	कार्यान्वयन प्रगति की स्थिति (आउटपुट्स, गतिविधियां और मुद्दे)
1. प्रमुख जिला सड़कों का सभी मौसम मानदंडों के अनुरूप पुनरनिर्माण व पुनरूद्धार तथा सड़क सुरक्षा हेतु डिजाइन। 2. सड़क अनुरक्षण और आस्ति प्रबंधन में सुधार। 3. कुशल दुर्घटना अनुक्रिया प्रणली की संरचना।	–
विकास परियोजनाओं की स्थिति	**महत्वपूर्ण परिवर्तन**
–	–

व्यवसाय के अवसर

प्रथम सूचीयन की तिथि	19 दिसम्बर 13

परामर्शी सेवाएं

पीपीटीए की जिम्मेदारी संभालने के लिए एक फर्म (अथवा फर्मों का संघ) नियुक्त किया जाएगा। जैसाकि पूर्वानुमानित है, इस कार्य के लिए कुल 20 व्यक्ति–माह के लिए 6 राष्ट्रीय विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। परामर्शदाता फर्म की नियुक्ति जैव–दत्त सामग्री तकनीकी प्रस्ताव प्रक्रियाओं के उपयोग द्वारा 90:10 के गुणवत्ता लागत अनुपात के साथ, गुणवत्ता– तथा लागत–आधार पर की जाएगी।

अधिप्राप्ति

पीपीटीए के तहत उपयोग की जाने वाली सभी परामर्शी सेवाओं की अधिप्राप्ति एडीबी के परामर्शदाता–उपयोग हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत (मार्च, 2013, समय–समय पर संशोधित अनुसार) के अनुसार निष्पादित की जाएगी।

प्रापण और परामर्शी सूचनाएं

http://www.adb.org/projects/47270-001/business-opportunities

समयतालिका

अवधारणा मंजूरी	–
तथ्य–अन्वेषण	–
प्रबंध समीक्षा बैठक	–
अनुमोदन	–
नवीनतम समीक्षा मिशन	–

मीलपत्थर

अनुमोदन संख्या	अनुमोदन	हस्ताक्षर	प्रभावोत्पादकता	अनुमोदन समापन		
				मूल	संशोधित	वास्तविक
–	–	–	–	–	–	–

उपयोग

तिथि	अनुमोदन संख्या	एशियाई विकास बैंक (यूएस $ हजार)	अन्य (यूएस $ हजार)	शुद्ध प्रतिशत
संचयी संविदा पुरस्कार				
–	–	–	–	–
संचयी संवितरण				
–	–	–	–	–

प्रसंविदाओं की स्थिति

प्रसंविदाएं निम्नलिखित संवर्गों में वर्गीकृत की गई हैं –– लेखापरीक्षित परियोजना वित्तीय विवरण, सुरक्षा उपाय, सामाजिक, क्षेत्र, वित्तीय, आर्थिक और अन्य। प्रसंविदाओं अनुपालन का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर संवर्गों द्वारा किया जाता है : (i) संतोषजनक –– इस संवर्ग में सभी प्रसंविदाओं का अनुपालन किया जाता है, अधिकतम एक अपवाद के साथ, (ii) आंशिक संतोषजनक –– इस संवर्ग में अधिकतम दो प्रसंविदाओं का अनुपालन नहीं किया जाता है, (iii) असंतोषजनक –– इस संवर्ग में तीन या अधिक प्रसंविदाओं का अनुपालन नहीं किया जाता है, सार्वजनिक संचार नीति 2011 के अनुसार, परियोजना वित्तीय विवरणों हेतु प्रसंविदा अनुपालन मूल्यांकन केवल उन परियोजनाओं पर लागू होता है जिनका वार्तातय हेतु आमंत्रण 2 अप्रैल 2012 के पश्चात निर्धारित है।

अनुमोदन संख्या	संवर्ग						
	क्षेत्र	सामाजिक	वित्तीय	आर्थिक	अन्य	सुरक्षा उपाय	परियोजना वित्तीय विवरण
ऋण -	–	–	–	–	–	–	–

सम्पर्क और अद्यतन विवरण

जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	पी. वी. रवि (rperi@adb.org)
जिम्मेदार एडीबी विभाग	दक्षिण एशिया विभाग
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	परिवहन तथा संचार प्रभाग, एसएआरडी
निष्पादक अभिकरण	–

सम्पर्क

परियोजना वेबसाइट	http://www.adb.org/projects/47270-001/main
परियोजना प्रलेखों की सूची	http://www.adb.org/projects/47270-001/documents